न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 266/2022

राजेश्वरी पत्नी रमेशचन्द्र
बनाम
श्यामसुन्दर पुत्र कोजाराम वगैरा

दिनांक 1. .01.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 77/2020 (2020/179) में पारित आदेश दिनांक 12.01.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी अपीलांट–प्रार्थीया–राजेश्वरी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील भोपालगढ के ग्राम भोपालगढ एमबी स्थित अपने खातेदारी खसरा नम्बर 984/5 के चिपते दक्षिणी दिशा में रेस्पो0–अप्रार्थी सं0 1–श्याम सुन्दर के खातेदारी ख0नं0 984/6 की भूमि स्थित है, जिनकी माठ को लेकर विवाद रहता है। अतः प्रार्थीया के खातेदारी खसरान की भूमि का बाद सीमांकन पत्थरगढी का आदेश फरमावे। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा इस आधार पर, कि प्रार्थीया द्वारा खातेदारी खेत के चारों ओर के खातेदारों को आवश्यक पक्षकार संयोजित नही किए जाने एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत नही किए जाने से खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–प्रार्थीया ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स खसरा नम्बर 984/5 के काबिज काश्त व तरमीम सुदा भूमि खातेदार है।

11/1/26.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

प्रार्थीया के खसरान के चिपते दक्षिणी दिशा में रेस्पो0सं0 1 का ख0नं0 984/6 स्थित है, जिसकी माठ को लेकर विवाद रहता है। जिसके सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का प्रार्थना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चारो ओर के खातेदारों को आवश्यक पक्षकार नही बनाये जाने एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत नही करने के कारण खारिज कर दिया गया। जो अपीलांट की सुनवाई के बिना, मनमाने तौर पर एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में पूर्व प्रस्तुत "जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम" तथा "प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी" में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि उक्त अपील साढे चार माह बाद प्रस्तुत की गई है। धारा 05 के प्रार्थना पत्र में विलंब का कोई संतोषजनक कारण नही बताया गया है, मनगढत एवं वेग कथन किए गये है, अत अपील अपीलांट मियाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। प्रार्थी–अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना के अभिकथनों के संदर्भ में वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलार्थी एवं रेस्पो0–अप्रार्थी सं0 1 के खेत अलग –अलग आए हुए है एवं अप्रार्थी के खेत के चारो तरफ पत्थगढी की हुई है। अतः माठ को लेकर विवाद का कोई प्रश्न ही नही है। रेस्पो0 के उक्त खसरान की भूमि सहित अन्य खसरान की भूमि पैतृक है, जा उसके दादा स्व0 विरमाराम की सह–खातेदारी में दर्ज थी, जबकि अपीलार्थीया ने अन्य खातेदार से बाद में उक्त खसरान की भूमि खरीद की थी। पूर्व में उक्त खसरा नम्बर 984 एक रकबा था, जो बाद में अलग–अलग बट्टा नम्बरों में विभाजित हुआ। रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फार्म नं0 3 के साथ उल्लेखित फोटोग्राफ एवं दस्तावेजों की प्रतियां प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत की गई तथा इन्हें रेकर्ड लिया जाकर, अपील अपीलांट खारिज कर, तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत रेस्पो0सं0 1 के पक्ष में आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

राजस्व अपीलीय आयुक्त

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया गया। प्रकट तथ्यों के आधार पर आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपीलांट–प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार भोपालगढ के समक्ष नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने तथा बाद सीमाज्ञान रिपोर्ट के उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष पत्थरगढी का आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से, तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 77/2020 (2020/179) में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.01.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1.1.26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

1/1/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर